International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 13 Issue 11 || November 2024 || PP. 108-112

अनुसूचित जनजाति महिलाओं में संवैधानिक और कानूनी जागरूकता:

(पेसा अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम, और घरेलू हिंसा अधिनियम के सन्दर्भ में)

संजय चौरसिया [1], डॉ. गुलरेज़ खान [2]

शोध निर्देशक श्रीकृणा विश्वविद्यालय छतरपुर

प्रस्तावना:

भारत की अनुसूचित जनजातियाँ एक विशिष्ट सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक पहचान रखती हैं। इन समुदायों की महिलाएँ पारंपरिक जीवनशैली का पालन करते हुए आज भी अनेक सामाजिक एवं संरचनात्मक चुनौतियों का सामना कर रही हैं। उनके अधिकारों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार ने समय-समय पर कई महत्वपूर्ण कानून बनाए हैं, जिनमें पेसा अधिनियम (1996), वन अधिकार अधिनियम (2006) और घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम (2005) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

इन कानूनों का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में महिलाओं को भूमि, संसाधन, सामाजिक निर्णय और हिंसा से सुरक्षा जैसे मौलिक अधिकार प्रदान करना है। लेकिन इन कानूनी प्रावधानों के बावजूद, अधिकतर अनुसूचित जनजाति महिलाओं को अपने इन अधिकारों की जानकारी नहीं है, जिससे वे कई बार शोषण और बहिष्करण का शिकार हो जाती हैं। जानकारी की यह कमी न केवल उनके सामाजिक विकास में बाधक है अपितु यह उनके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को भी सीमित करती है।

यह शोध इस तथ्य की पड़ताल करता है कि अनुसूचित जनजाति की महिलाएँ इन कानूनों के बारे में कितनी जागरूक हैं वे किस हद तक इन अधिकारों का प्रयोग करती हैं, और क्या सामाजिक संरचनाएँ उन्हें इन अधिकारों से वंचित रखती हैं। साथ ही यह अध्ययन उन रणनीतियों और उपायों की भी पहचान करता है जिनके माध्यम से इन महिलाओं में कानूनी जागरूकता को बढ़ाया जा सकता है और उन्हें एक सशक्त नागरिक के रूप में स्थापित किया जा सकता है।

1. पेसा अधिनियम:

पेसा अधिनियम, 1996 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (M) के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को विशेष अधिकार प्रदान करने हेतु अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य था कि आदिवासी

समुदायों को **"स्वशासन"** का अधिकार प्राप्त हो और वे अपने स्थानीय संसाधनों, परंपराओं तथा प्रशासन में स्वायत्त निर्णय ले सकें।

अनुसूचित जनजाति महिलाओं के सन्दर्भ में पेसा अधिनियम का महत्व:

1. ग्राम सभा में महिलाओं की सहभागिता:

पेसा अधिनियम के तहत ग्राम सभा को निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता है, और उसमें महिला सदस्य भी अनिवार्य रूप से शामिल होती हैं। यह आदिवासी महिलाओं को पहली बार सार्वजनिक निर्णय-निर्माण में भूमिका प्रदान करता है।

2. जल, जंगल और ज़मीन पर नियंत्रण:

महिलाओं को ग्राम सभा के माध्यम से स्थानीय संसाधनों पर अधिकार सुनिश्चित किया गया है। इससे उन्हें ईंधन, औषधीय पौधे, और वनोपज (जैसे तेंदूपत्ता, महुआ आदि) के संग्रहण में निर्णयात्मक भूमिका मिलती है।

3. सामाजिक न्याय और परंपराओं की रक्षा:

ग्राम सभा स्थानीय परंपराओं, विवाह, सामाजिक विवादों और शराब निर्माण आदि पर निर्णय ले सकती है। इससे महिलाओं को अपनी संस्कृति की रक्षा और सामाजिक न्याय की प्राप्ति में सशक्त भूमिका मिलती है।

4. **रोजगार और पारदर्शिता:**

पेसा अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा को मनरेगा और अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी का अधिकार है। यह महिला सदस्यों को स्थानीय योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का अवसर देता है।

2. वन अधिकार अधिनियम:

वन अधिकार अधिनियम, 2006 अनुसूचित जनजातियों और पारंपरिक वनवासियों को उनके परंपरागत वनों पर वैधानिक अधिकार प्रदान करने वाला ऐतिहासिक कानून है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उन समुदायों को भूमि अधिकार देना है, जो पीढ़ियों से वनों में निवास करते आ रहे हैं और जिनकी आजीविका वनों पर निर्भर है। अनुसूचित जनजाति महिलाओं के जीवन में यह अधिनियम विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह उन्हें न केवल वन उत्पादों पर आर्थिक स्वामित्व प्रदान करता है, बल्कि उन्हें सामाजिक और पारिवारिक निर्णयों में भी सशक्त करता है। इस कानून के तहत महिला और पुरुष दोनों के नाम पर भूमि के स्वामित्व को मान्यता दी जाती है, जिससे महिलाओं को पहली बार जमीन पर कानूनी अधिकार मिलता है। साथ ही, उन्हें तेंदूपत्ता, महुआ, शहद और अन्य गैर-काष्ठीय वनोपज एकत्र करने और उनका विक्रय करने का अधिकार भी प्राप्त होता है, जो उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है। यह अधिनियम सामुदायिक अधिकारों को भी मान्यता देता है, जिसके अंतर्गत महिलाएं ग्रामसभा में भाग लेकर वनों के प्रबंधन, संरक्षण और पुनर्वनीकरण से संबंधित निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं। परंतु, व्यवहारिक स्तर पर यह देखा गया है कि कई महिलाएं इस कानून की जानकारी से वंचित हैं और उन्हें पट्टा (Forest Rights Title) के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों व प्रक्रिया की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई स्थानों पर केवल पुरुषों के नाम पर ही दावे किए जाते हैं जिससे महिलाओं के हक़ सीमित रह जाते हैं। ग्रामसभा की बैठकों में महिला भागीदारी भी नाममात्र की होती है।

इसलिए, यह आवश्यक है कि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में इस अधिनियम के व्यापक प्रचार-प्रसार, सरल प्रक्रिया तथा महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो यह अधिनियम महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

3. घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम:

घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को प्रदान किए गए सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार को सुदृढ़ करता है। यह अधिनियम महिलाओं को घरेलू परिवेश में शारीरिक, मानसिक, यौन, आर्थिक और मौखिक हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है। अनुसूचित जनजातियों की महिलाएँ, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पहले ही कमजोर स्थिति में होती हैं, अक्सर दोहरे शोषण की शिकार होती हैं एक तरफ पारंपरिक पितृसत्तात्मक संरचना और दूसरी तरफ सामाजिक असमानता। इस अधिनियम के अंतर्गत उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से संरक्षण अधिकारी, आश्रय गृह, भरण-पोषण, आवास और त्वरित राहत की सुविधा प्राप्त हो सकती है। हालाँकि यह कानून सशक्त रूप से महिलाओं की सुरक्षा का दावा करता है, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में इसकी पहुँच आज भी सीमित है। अधिकांश अनुसूचित जनजाति महिलाएं न तो इस अधिनियम के अस्तित्व से परिचित हैं और न ही उन्हें यह जानकारी होती है कि वे इसकी सहायता कैसे प्राप्त कर सकती हैं। ग्राम स्तरीय प्रशासनिक ढांचे में महिला संरक्षण अधिकारियों की अनुपलब्धता, महिलाओं की कम साक्षरता और सामाजिक दबाव के चलते वे हिंसा के विरुद्ध आवाज़ उठाने से हिचकिचाती हैं। कई बार यह भी देखा गया है कि महिलाओं को हिंसा को एक पारिवारिक परंपरा मानकर सहने के लिए बाध्य किया जाता है।
इस प्रकार इस अधिनियम की वास्तविक सफलता कानूनी जागरूकता, स्थानीय सहायता प्रणाली, और सामाजिक समर्थन पर निर्भर करती है। यदि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में सक्रिय गैर-सरकारी संगठनों, पंचायतों और स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित किया जाए तो यह कानून उनके लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच सिद्ध हो सकता है। यह जरूरी है कि इस कानून को केवल कागज़ों तक सीमित न रखा जाए बल्कि इसे ग्रामीण व आदिवासी महिला सशक्तिकरण का उपकरण बनाया जाए।

निष्कर्ष:

अनुसूचित जनजाति महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण हेतु भारत सरकार द्वारा कई संवैधानिक और विधिक प्रावधानों की स्थापना की गई है। पेसा अधिनियम (1996), वन अधिकार अधिनियम (2006), और घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम (2005) जैसे कानून विशेष रूप से उन महिलाओं की सुरक्षा, भागीदारी और अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं जो वंचना, शोषण और सामाजिक बहिष्कार की शिकार रही हैं। हालांकि ये कानून प्रभावशाली सिद्ध हो सकते हैं, फिर भी जमीनी स्तर पर इनकी जानकारी, पहुँच और प्रभावशीलता सीमित है। अधिकांश महिलाएं इन अधिनियमों की जानकारी से अनभिज्ञ हैं, और जिन क्षेत्रों में इनका प्रचार हुआ भी है, वहाँ भी सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक बाधाओं के कारण महिलाएं इनके लाभ से वंचित रह जाती हैं।

पेसा के अंतर्गत ग्राम सभाओं में महिलाओं की उपस्थिति नाममात्र है; वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत भूमि अधिकार अभी भी पुरुष प्रधान हैं; और घरेलू हिंसा अधिनियम का प्रयोग जनजातीय महिलाओं

द्वारा बहुत कम किया जा रहा है। इस स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि कानून की मौजूदगी मात्र से महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होता, जब तक उसकी प्रभावी समझ, समर्थन व्यवस्था और सक्रिय क्रियान्वयन न हो।

सुझाव:

1. कानूनी जागरूकता अभियान: जनजातीय बहुल क्षेत्रों में स्थानीय भाषा और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण और जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाए।
2. महिला नेतृत्व को बढ़ावा: ग्राम सभाओं, वन समितियों और स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
3. महिला पट्टा पंजीकरण: वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत भूमि अधिकार आवंटन में महिलाओं के नाम को अनिवार्य किया जाए।
4. स्थानीय सहायता केंद्रों की स्थापना: जनजातीय क्षेत्रों में महिला हेल्पलाइन, संरक्षण अधिकारी, और शिकायत केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए।
5. शिक्षा और साक्षरता में सुधार: बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए, ताकि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सकें।
6. निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली: इन कानूनों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक स्थानीय निगरानी तंत्र तैयार किया जाए जिसमें महिलाएं स्वयं भाग लें।
7. गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी: NGOs और CBOs के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग लिया जाए।

उपसंहारतः यह कहा जा सकता है कि यदि इन तीनों अधिनियमों को सही ढंग से लागू किया जाए और महिलाओं तक इनकी पहुँच को सुनियोजित तरीके से सुनिश्चित किया जाए तो अनुसूचित जनजाति महिलाओं का जीवन स्तर, आत्मविश्वास और अधिकार-चेतना सभी स्तरों पर सशक्त हो सकती है।

संदर्भ ग्रंथ-सूची:

1. वर्मा, स. (2018). वन अधिकार अधिनियम और आदिवासी महिलाओं की भूमि सुरक्षा: एक अध्ययन (प्रकाशित शोध प्रबंध), गोंडवाना विश्वविद्यालय, गढ़चिरौली.
2. साय, एन. के. (2016). पेसा अधिनियम के ग्राम सभा में महिलाओं की सहभागिता का मूल्यांकन (अप्रकाशित शोध प्रबंध), इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर.
3. सेठी, अ. (2019). घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और ग्रामीण जनजातीय महिलाओं की स्थिति (प्रकाशित शोध प्रबंध)। डॉ. हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय, सागर.
4. जनजातीय कार्य मंत्रालय. (2021). वन अधिकार अधिनियम 2006 की स्थिति रिपोर्ट, भारत सरकार। https://tribal.nic.in.
5. राष्ट्रीय महिला आयोग. (2020). घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता हेतु कार्य प्रणाली: एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, भारत सरकार। https://ncw.nic.in.
6. मीना, एस. (2022). मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति महिलाओं की वन अधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन, जनजातीय विमर्श शोध पत्रिका, 4(2), 45–58.

7. राय, र., & पांडे, अ. (2020). पेसा अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी: एक जमीनी अध्ययन. ग्रामीण शासन और विकास, 12(1), 22–39.
8. शुक्ला, र. (2019). आदिवासी क्षेत्रों में स्वच्छ जल और शौचालय सुविधाओं की उपलब्धता: एक स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य. सामुदायिक स्वास्थ्य अनुसंधान, 11(3), 103–117.
9. जैदी, एम. (2019). दक्षिणी राजस्थान में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के माध्यम से आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण। एशियाई महिला अध्ययन पत्रिका, 25(1), 47–75। https://doi.org/10.1080/12259276.2019.1565637.
10. बोस, पी. (2011)। वन स्वामित्व सुधार: अर्ध-शुष्क राजस्थान, भारत में आदिवासी महिलाओं के अधिकारों का बहिष्कार। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी समीक्षा, 13(2), 220–232। https://doi.org/10.1505/146554811797406615..
11. जगती, पी. (2024). भारत में आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण के मुद्दे और चुनौतियाँ: एक वन-आधारित अध्ययन। एशिया माइनर स्टडीज़, 12(2), 213–220. https://doi.org/10.17067/asm.1445005.
12. इंदिरा, बी. (2025). आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण: वन अधिकार अधिनियम 2006 का महत्व - एक अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और अनुसंधान जर्नल (IERJ).